माननीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन

माननीय सदस्यगण,

माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा संविधान के अनुच्छेद–175 खण्ड (1) के अधीन दिए गए अभिभाषण के उपरांत आपलोगों ने अपने–अपने सारगर्भित उद्‌गार इस सभा में व्यक्त किये हैं। विधान सभा के इस नवनिर्मित भवन में चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का यह अंतिम सत्र है और कुछ दिनों के बाद पाँचवीं विधान सभा के लिए आम चुनाव का आगाज होगा। हम एक बार फिर से चुनाव के मैदान में होंगे। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ। हमारा यह लगभग पाँच वर्षों का सफर प्रत्येक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा है। इन पाँच वर्षो की काल अवधि में झारखण्ड की सवा तीन करोड़ आबादी के हित में हमने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। अनेक समस्याओं के समाधान का प्रयास हम सबों के द्वारा किया गया है फिर भी मैं इस बात को आप सबों के सामने सच्चे मन से स्वीकार करना चाहता हूँ कि समस्याओं के समाधान और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। समस्याओं का स्वरूप बदलता है और इसी के साथ समाधान के तरीके भी। फिर भी अब तक के अपने प्रयासों से हम संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो कोई विधान सभा झारखण्ड के लिए गठित होगी और जो जन–प्रतिनिधि निर्वाचित होकर यहाँ आयेंगे वो इस

राज्य के एक–एक व्यक्ति के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान झारखण्ड की इस विधान सभा ने अनेक कीर्तिमानों को स्थापित होते देखा है। विगत् 19 वर्षो की अवधि में सर्वाधिक लंबे समय तक एक ही सरकार के कार्यरत रहने का कीर्तिमान इसने स्थापित किया, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने किया है। उनके साथ–साथ सभा में नेता–प्रतिपक्ष माननीय श्री हेमन्त सोरेन जी का कार्यकाल भी नेता–प्रतिपक्ष के रूप में अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। मैं इन दोनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। विधान सभा के पीठासीन अधिकारी अर्थात् अध्यक्ष के रूप में मैं भी अब तक के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक आसीन रहा। यह मेरे लिए निःसंदेह एक बड़ी उपलब्धि का विषय है। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि इस पद के अपने दायित्वों को संभालने में मैं सफल नहीं हो पाता यदि राज्य सरकार के एक–एक मंत्री, सभी विधायक दल के नेताओं, सचेतकों और एक–एक सदस्य का समर्थन मुझे प्राप्त नहीं होता। मैं आप सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सदन के व्यवस्थापूर्वक संचालन में हर पल मेरा सहयोग किया है। यह मेरे लिए संतोष का विषय है कि अनेक अवसरों पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर आप सभी ने झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। आज के अवसर पर मैं विधान सभा सचिवालय के

पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे अपने सार्थक सुझाव और परामर्श दिए हैं।

माननीय सदस्यगण, आज का यह अवसर निःसदेह ऐतिहासिक है। यद्यपि आप सभी को झारखण्ड विधान सभा के इस कार्यकाल के कार्यकरण की पूरी जानकारी है फिर भी अभिलेख के लिए मैं इस तथ्य को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इस सभा के कार्यकाल में इसके कुल 17 सत्र आयोजित किये गये, जिसमें कुल 127 कार्य दिवसों की बैठकें आयोजित की गई। इस विधान सभा को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कुल 6 अवसरों पर माननीय राज्यपाल द्वारा संबोधित किया गया। जबकि राज्य सरकार के वित्त मंत्री की ओर से कुल 6 बार बजट भाषण पढ़े गये। कुल 2 संविधान संशोधन विधेयकों पर सभा का अनुसमर्थन प्राप्त किया गया। कुल 130 विधेयक सभा में पुरःस्थापति किये गये जिनमें से 127 को सभा द्वारा पारित किया गया। मुख्य रूप से आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस विधान सभा के विभिन्न सत्रों में कुल नौ हजार, चार सौ पचपन प्रश्नों की सूचनायें माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई, जिनमें से दो हजार, एक सौ, अट्ठारह अल्पसूचित, छः हजार, एक्यावन तारांकित तथा एक हजार छियासी अतारांकित रूप में स्वीकार की गयीं। इनमें पाँच सौ छः के मौखिक उत्तर सभा में सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गए जबकि शेष 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों के लिखित उत्तर भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5

विधेयकों पर प्रवर समितियाँ गठित हुई। इनमें से 8 विधेयकों पर अब तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है। इस विधान सभा के कार्यकाल में कुल 2 केन्द्रीय अधिनियमों को अंगीकृत करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सभा के विभिन्न सत्रों में शून्यकाल की कुल 1945 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 1907 को स्वीकृत किया गया। इसी तरह कुल 467 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ भी प्राप्त हुई और 453 को सभा में वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया । चतुर्थ झारखण्ड सभा के कार्यकाल के दौरान कुल 1187 निवेदनों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 1047 को स्वीकार किया गया। कुल 499 ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ सरकार के वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई, जिनमें 4 पर विशेष समितियों का गठन किया गया। इस अवधि में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने सभा में 13 और अध्यक्ष के समक्ष कुल 9 प्रतिवेदन प्रतिस्थापित किये। ध्यानाकर्षण सूचना पर गठित कुल 2 विशेष समितियों के प्रतिवेदन भी इस अवधि में प्राप्त हुए।

माननीय सदस्यगण, आप सब इस तथ्य से विदित हैं कि सभा की समितियों को संसदीय व्यवस्था में सभा का ही प्रतिस्थानी माना गया है। जब सभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब समितियाँ अपना कार्य करती हैं। एक दृष्टि से समितियाँ जहाँ सभा का लघु स्वरूप हैं, वहीं ये विभिन्न विषयों, समस्याओं और सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास की देख–रेख करने वाली सभा

की सूक्ष्म आँखें भी हैं। पूर्व की तरह इस विधान सभा के कार्यकाल में भी झारखण्ड विधान–सभा की समितियों ने अपनी महती भूमिका का निर्वाह करने का काम इस काल खण्ड में किया है। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा के कार्यकाल में सभा की सरकारी आश्वासन समिति ने अपने कुल–15 प्रतिवेदन, सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति ने 13 प्रतिवेदन, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति ने अपने कुल–3 प्रतिवेदन सभा पटल अथवा मेरे समक्ष उपस्थापित किये। इसी तरह इस विधान सभा के कार्यकाल में जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के 5 प्रतिवेदन, याचिका समिति के 12, प्राक्कलन के 7, निवेदन शून्यकाल एवं गैर सरकारी संकल्प समिति के कुल–7, प्रत्यायुक्त विधान समिति के 3, महिला एवं बाल विकास समिति के कुल–3, पुस्तकालय एवं युवा कल्याण समिति के 2 और पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के कुल–2 प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये। मैं इन समितियों के सभापति तथा इनसे संबंधित माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अथक परिश्रम करके प्रतिवेदनों को तैयार करना और उपस्थापन के कार्य को सुनिश्चित किया है।

आप इस तथ्य से भी विदित है कि भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में गठित संस्था सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सूक्ष्म समीक्षा करती है और राज्य की संचित निधि से हुए व्यय के औचित्य का परीक्षण भी करती है। इसका यह दायित्व है कि वह यह देखे कि लोक धन का व्यय विधि सम्मत तरीके से हुआ है या नहीं। प्रचलित विधियों के अधीन यदि लोक धन का व्यय नहीं होता है, या जान बूझकर नियमों की उपेक्षा की गयी होती है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक संस्था अपना अंकेक्षण आपत्ति प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित करती है और सभा पर ऐसे प्रतिवेदनों के उपस्थापन के बाद सभा की लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति इसकी छानबीन करती है। तत्पश्चात् अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस विधान सभा के कार्यकाल में कुल चार प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किये गये, जिनमें से 51 अंकेक्षण आपत्तियों पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया है और इसी तरह लोक लेखा समिति के भी तीन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये हैं। मैं इन दोनों वित्तीय समितियों के सभापतियों और इनके माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन में

सरकार के मंत्री और उच्चाधिकारियों से इतर सभा की ईकाई के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

माननीय सदस्यगण, इस विधान सभा के कार्यकाल में विधान सभा के कुल सात स्थानों के लिए विभिन्न कारणों से उपचुनाव कराये गये। इन उपचुनावों के बाद समय समय पर विभिन्न सदस्य इस सभा के लिए निर्वाचित हुए। इस विधान सभा के दो सदस्य वर्तमान लोक सभा के लिए भी क्रमशः गिरिडीह और सिंहभूम निर्वाचन क्षत्रों से निर्वाचित हुए हैं। उप चुनावों में निर्वाचित होने वाले सदस्यों के साथ साथ वे सदस्य जो देश की सर्वोच्च लोक प्रतिनिधि संस्था अर्थात लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और उप चुनावों के पूर्व जो सदस्य इस विधान सभा में कार्यरत थे, उन सभी के अमूल्य योगदान को भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। इन सभी ने झारखण्ड के एक एक व्यक्ति के हित में विधायन के क्षेत्र के साथ साथ विधायी प्लेटफार्म से जिस किसी भूमिका की अपेक्षा की जाती है, उसका निर्वहन उन्होंने खूबसूरती के साथ किया है। मैं इन सभी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

इस विधान सभा के कार्यकाल में कुल आठ विशेष समितियाँ भी गठित की गयीं और सभी का संबंध महत्वपूर्ण विषयों के निष्पादन से था। इनमें से कुल सात समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और एक का प्रतिवेदन अभी प्रक्रियाधीन है। कुल पाँच प्रवर समितियाँ जो

इस विधान सभा के कार्यकाल के दौरान गठित की गयीं, उनमें से चार के प्रतिवेदन प्राप्त हुए और एक का प्रतिवेदन लंबित रह गया है। मैं आशा करता हूँ कि ससमय उनके प्रतिवेदन भी प्राप्त हो जायेंगे।

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पूरे कार्यकाल के दौरान विभिन्न सत्रों के संचालन के समय और गैर सत्रावधि में भी विभिन्न समितियों के कार्यकरण के समय राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी तरह से किया है। सभा और समितियों की पल–पल की कार्यवाही से राज्य और देश की जनता को अवगत कराने में मीडिया के बंधु हमारे सक्रिय सहयोगी रहे हैं, मैं इन सभी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस के जवान विधि व्यवस्था बनाये रखने में, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है की मुस्तैदी का भी मैं कायल रहा हूँ और उनकी मुस्तैदी के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ।

धन्यवाद।